संख्या:118/2026/750/आठ-1-26/2029155

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 07 जुलाई, 2026

विषयः जनपद कानपुर के कालिन्द्री नगर, महावीर नगर को कानपुर आगरा हाइवे से जोड़े जाने हेतु 45.0 मी0 रोड, रेलवे अण्डरपास का निर्माण के साथ एच0टी0लाइन की शिफ्टिंग के कार्य संबंधी परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-104/2026/413/आठ-1-26/2029155, दिनांक 31 मार्च, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके पत्र संख्या-डी-826/अ0अ0-2/का0वि0प्रा0/25-26, दिनांक 27.02.2026 एवं के क्रम में जनपद कानपुर के कालिन्द्री नगर, महावीर नगर को कानपुर आगरा हाइवे से जोड़े जाने हेतु 45.0 मी0 रोड, रेलवे अण्डरपास का निर्माण के साथ एच0टी0लाइन की शिफ्टिंग के कार्य संबंधी परियोजना की व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 6904.44 लाख के सापेक्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 6865.97 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 2403.0895 लाख (रूपये चौबीस करोड़ तीन लाख आठ हजार नौ सौ पचास मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस शर्त के साथ निर्गत की गयी थी कि परियोजना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 **6904.44** लाख के सापेक्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा आंकलित लागत

http://shasanadesh.up.nic.in

रू0 **6865.97** लाख से व्यय वित्त समिति एवं वित्त विभाग को संज्ञानित कराते हुए सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त प्रश्नगत परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

2- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 **6865.97** लाख के सापेक्ष व्यय वित्त समिति द्वारा भी रू0 **6865.97** लाख पर मूल्यांकित किया गया है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु मूल्यांकित लागत रू0 **6865.97** लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं :-

(1) उक्त शासनादेश संख्या-104/2026/413/आठ-1-26/2029155, दिनांक 31 मार्च, 2026 के प्रस्तर-1(22) में उल्लिखित शर्त को छोड़कर उक्त शासनादेश की समस्त शर्तें यथावत रहेंगी।

(2) कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा व्यय वित्त समिति के कार्यवृत्त दिनांक 19.03.2026 (पी0डी0एफ0 संलग्न) में लगायी गयी शर्तों के अतिरिक्त व्यय वित्त समिति के कार्यवृत्त दिनांक 22.05.2026 (पी0डी0एफ0 संलग्न) में लगायी गयी समस्त शर्तों का भी पूर्णता अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-**4/2026**/बी-**1-812**/दस-**2026-231/2026,** दिनांक **28** मार्च, **2026** में वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-002 के लेखाशीर्षक-4217608001000 मानक मद 24-वृहद निर्माण के अन्तर्गत मेरठ, मथुरा-वृन्दावन एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद में डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-E-8-190-X-2026-27- दिनांक:30.06.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेश कुमार राय)

विशेष सचिव।

संख्या:118/2026/750(1)/आठ-1-26/2029155, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) मण्डलायुक्त, कानपुर।
(4) जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने हेतु।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
(9) नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
(10) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(11) लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र मिश्र)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in